



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या-69/ 2025

रमेशचन्द्र आदि

बनाम

राजबहादुर आदि।

दिनांक:- 19.08.2025

वादीगण द्वारा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री भारत सिंह यादव के माध्यम से प्रार्थना-पत्र वास्ते बटवारा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र की धारा-1 में विवादित सम्पत्ति की जो चौहद्दी दी गयी है वह वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष (धारा-8क) व वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी से मेल नहीं खाती है तथा वादीगण द्वारा विवादित मकान व सहन की कोई पैमाइश अंकित नहीं की गयी है तथा न ही विवादित मकान में निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण को वाद की पोषणीयता के बिन्दु पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वाद की पोषणीयता पर सुनवाई हेतु दिनांक-05.09.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

J.O Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)